भाग –III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 फरवरी, 2019

संख्या का०आ० 7/के०अ० 30/2013/धा० 10/2019.– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 10 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि कृषि भूमि का अर्जन कुल मिलाकर प्रत्येक जिले में सभी परियोजनाओं के लिए, उस जिले के पूर्व दस कृषि वर्षों के दौरान में शुद्ध बुआई क्षेत्र का तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 12th February, 2019

No. S.O.7/C.A. 30/2013/Ss. 10/2019.— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section-10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Governor of Haryana hereby, notifies that the area of agricultural land, in aggregate acquired for all projects in each district, shall not exceed thirty percent of the highest net sown area in an agricultural year during last ten years in the district.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

8559—L.R.—H.G.P., Pkl.